कार्यालयः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट सोनभद्र– (उ0प्र0)

☎05446–252020 PIN Code: 231217 Email:dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 2439 /रेनुकूट/ 15– 38 दिनांक, रेनुकूट, जनवरी, 09 , 2019

सेवामें,

महाप्रबन्धक
नार्दन कोल फील्डस लि0
ककरी–सोनभद्र ।

विषयः– रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत ककरी परियोजना, नार्दन कोल फिल्ड्स लिमिटेड को कोयला खनन हेतु हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि लीज के नवीनीकरण प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भः– आप द्वारा प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/MIN/29061/2017

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित ऑन लाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का अवलोकन करने का कष्ट करें । आप द्वारा प्रसतुत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का परीक्षण कराया गया । परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित कमियॉ पायी गयी है जिनका निराकरण कराया जाना आवश्यक है :–

1. भारत सरकार के आदेश संख्या– 8–350/87–एफ0सी0 दिनांक– 30.05.1989 तथा विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वन अनुभाग–3 के आदेश संख्या– एल0 590/14–3–1989 लखनऊ दिनांक– 22.12.1989 द्वारा कतिपय शर्तो के अधीन 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी थी । जिसकी लीज अवधि राज्य सरकार के आदेश जारी होने की तिथि से निर्धारित किया जाना है । राज्य सरकार के आदेशानुसार लीज की अवधि दिनांक– 21.12.2019 को समाप्त हो रही है जिसका अंकण समस्त प्रमाण–पत्रो एवं अन्य संलग्नको में कराने का कष्ट करें ।
2. वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संलग्नक–7 में अंकित विवरण के अतिरिक्त इस आशय का विवरण भी उल्लेख किया जाय कि प्रकरण में यदि भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैर वन भूमि पुनः उपलब्ध कराये जाने हेतु शर्ते लगायी जाती है तो उसके अनुपालन करने हेतु वचनवद्धता प्रस्तुत करता हूँ ।
3. वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संलग्नक–14 में अंकित विवरण सही नही है । संलग्न प्रमाण–पत्र में इस आशय का विवरण भी उल्लेख किया जाय कि लीज रेंट की देयता के संबंध में एन0सी0एल0 मुख्यालय सिंगरौली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद के समक्ष रिट याचिका संख्या–50320/2010 (एन0सी0एल0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) दाखिल किया गया था । माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई अन्तिम रूप से दिनांक–16.01.2013 को की गयी और वन विभाग के विरूद्ध निर्णय आदेश पारित किया गया । माननीय उच्च न्यायालय इलाहावाद द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक–16.01.2013 के विरूद्ध वन विभाग की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष

अनुज्ञा याचिका संख्या–22793/2013 उ.प्र.राज्य व अन्य बनाम नार्दन कोल फील्डस लि. दाखिल किया गया है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अनुसार लीज रेंट की धनराशि जमा करने हेतु वचनवद्धता प्रस्तुत करता हूँ ।

4. वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न जिलाधिकारी द्वारा जारी भूमि की दरे पुरानी है । वर्तमान में लागू दरे की प्रति संलग्न किया जाय ।
5. वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में एफ0आर0ए0 संलग्न नही है । एफ0आर0ए0 की प्रति प्राप्त करते हुए उसे संलग्न किया जाय ।
6. वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में परियोजना के स्थापित करने का औचित्य संलग्न नही है । कृपया औचित्य संलग्न किया जाय ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कमियों का निराकरण कराते हुए तदनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की छः प्रतियॉ इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशो के क्रम में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जा सकें । आपत्तियो के निराकरण कराने हेतु प्रस्ताव की छः प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है ।

संलग्नक:- यथोपरि ।

भवदीय,

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट–सोनभद्र

09/01/18
MT (Env) द्वारा प्राप्त किया गया ।